संख्याः 707/ई–1/तेरह–2023–18/17 (टी.सी.)

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर,
   गाजियाबाद, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज एवं वाराणसी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 12 अप्रैल, 2023**

विषयः–नगर निगम/नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के सामान्य निर्वाचन–2023 पर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर रोक लगाये जाने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 2062/रा.नि.आ.अनु.–4/न.नि./2023/लखनऊ दिनांक 09–04–2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास की अधिसूचना संख्या–971/9–1–2023–104 निर्वाचन/17 दिनांक 09 अप्रैल, 2023 एवं संख्या–972/9–1–2023–104 निर्वाचन/17 दिनांक 09 अप्रैल, 2023 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के महापौरों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन–2023 हेतु अधिसूचना जारी की गयी है।

2. आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना है। पड़ोसी राज्यों से होने वाली सम्भावित मदिरा की तस्करी, अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री से जहाँ एक ओर राजस्व क्षति की प्रबल सम्भावना होती है तो वही दूसरी ओर जनहानि की सम्भावना भी बनी रहती है, जिस पर रोक लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश में मदिरा की मांग बढ़ने की सम्भावना है, जिस कारण अवैध मदिरा के कारोबारियों द्वारा मदिरा की तस्करी तथा अवैध रूप से मदिरा तैयार कर उसकी बिक्री किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इससे जहाँ एक ओर राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ता है, वहीं दूसरी ओर जनहानि की भी सम्भावना बनी रहती है। विगत वर्षों प्रदेश में हुई कतिपय घटनाओं में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा देशी शराब की शीशियों में भरकर अवैध मदिरा की बिक्री मदिरा की दुकानों से भिन्न अनाधिकृत स्थानों से अवैध रूप से की जा रही थी, इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे संदिग्ध स्थलों एवं व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखते हुए गोपनीय ढंग से इन व्यक्तियों को चिन्हित कर तथा साथ–साथ अवैध मद्य निष्कर्षण एवं मदिरा निर्माण एवं बिक्री के संदिग्ध अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही की जाय तथा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की गतिविधियों में पकड़े गये अपराधियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के साथ–साथ आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाय।

4. अतः प्रदेश में नगर निगम/नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के सामान्य निर्वाचन–2023 के दृष्टिगत प्रदेश में मदिरा की मांग बढ़ने की सम्भावना तथा चुनाव के शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पादन एवं चुनाव के दौरान सुचिता बनाये रखे जाने के उद्देश्य से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिये प्रदेश स्तर पर अधिसूचना जारी होने के दृष्टिगत दिनांक 14–04–2023 से मतगणना तिथि 13–05–2023 (एक माह) तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। अभियान के संचालन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

(i) जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया जाय।

(ii) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते हैं और चालकों द्वारा अल्कोहल चोरी छिपे बेचे जाने की सम्भावना रहती है, की सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय।

(iii) अनुज्ञापित परिसर के आस–पास सतर्क दृष्टि रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में दुकान से बाहर मदिरा की बिक्री अवैध रूप से कदापि न होने पाय।

(iv) किराना, फल एवं दुग्ध वाहनों से अवैध मदिरा के परिवहन की शिकायत प्रायः प्राप्त हो रही है। ऐसे संदिग्ध वाहनों की भी सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग करायी जायं।

(v) अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं एवं संदिग्ध स्थानों की अद्यतन सूची के अनुसार दबिश कार्यवाही कराते हुए पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ–साथ आवश्यकतानुसार आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाये।

(vi) आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार करके यह सुनिश्चित किया जाये कि वहां से अवैध मदिरा की बिक्री तो नहीं की जा रही है। दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू.आर. कोड की सूक्ष्मता एवं सर्तकतापूर्वक जांच की जाये।

(vii) एफ.एल.–16/17 एवं एफ.एल.–39, 40 व 41 अनुज्ञापनों का भी सघन निरीक्षण करते हुये इनका नमूना आहरित कर जांच करायी जाय।

(viii) जिलों के असेवित क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों जहाँ पर मदिरा की दुकानें अव्यवस्थित हैं, वहाँ पर अवैध कारोबार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाय।

(ix) मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिये आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित करें जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

(x) अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पडी फैक्ट्रियों में पकड़े गये हैं। अतएव क्षेत्र में स्थित ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाये।

(xi) जिन क्षेत्रों में आसवनियाँ स्थित हैं, उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाये ताकि उनसे अल्कोहल चोरी की सम्भावना न हो।

(xii) अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसे दुकानों का निरीक्षण कर नमूने आहरित किये जायें और जांच में सब–स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाये।

(xiii) प्रदेश में संचालित मदिरा की आबकारी दुकानों पर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेजिंग कराते हुए निर्धारित प्रिन्ट रेट पर ही मदिरा की बिक्री सुनिश्चित की जाय।

(xiv) अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब के जहरीली होने के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर हैण्डबिल/पोस्टरों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी अवैध अड्डों से शराब न पीने तथा मिथाइल अल्कोहल के घातक विष होने, इसके उपयोग से व्यक्ति अन्धा होने तथा उसकी मृत्यु भी होने सम्बन्धी चेतावनी जन सामान्य तक पहुंचाई जाय।

(xv) 1000 लीटर से अधिक कच्ची शराब/दूसरे राज्यों में बनी शराब/केमिकल से बनी शराब/रेक्टिफाइड स्प्रिट आदि बरामदगी सम्बन्धी अभियोगों की सूचना पृथक से रखते हुए इन अभियोगों के सम्बन्ध में उद्गम बिन्दु, वितरण, परिवहन व विक्रय तंत्र तथा उपभोग के लिये चिन्हित क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।

5. जिले स्तर पर गठित टीमों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी, इसके अतिरिक्त जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स तथा प्रभार स्तर पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार इस प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व/निर्देशन करेगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध स्रोतों को शत–प्रतिशत् समूल नष्ट किया जाय। प्रवर्तन इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभार के समस्त संदिग्ध ग्रामों/अड्डों पर प्रभावी

प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा जिलों में गठित टीमों को भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6. प्रवर्तन अभियान के दौरान किसी भी कार्मिक द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

7. अभियान के प्रत्येक दिवस की सूचना अगले दिवस को चलित योग सहित तथा अभियान की समाप्ति पर संकलित सूचना दिनांक 14–05–2023 को 11:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा ई.आई.बी. अनुभाग की ई–मेल eibupexcise03@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त पकडे गये अति महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट प्रकार के अभियोगों को तत्काल दूरभाष अथवा मेल के माध्यम से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 707 (1)ई–1/तेरह–2023, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, जनपद, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, इकाईयॉ, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव